फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 79/19 सरकार बनाम रणजीत

18.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त रणजीत मफरूर।

साक्ष्य अभियोजन पीड. 06 राजेश कुमार के बयान लेखबद्ध किये गये। पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि प्रकरण तात्विक गवाहान के बयान लेखबद्ध किये जा चुके है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में ही दिनांकित 10.02.2026 को अभियुक्त रणजीत को मफरूर घोषित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब कोई गवाहान तलब किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली में वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। अभियुक्त के उपस्थित आने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)